विनोद कुमार ढल

बनाम

धर्मपाल ढल (मृतक) अपने एलआरएस और अन्य लोगों के माध्यम से

(सिविल अपील क्रमांक 4534-4535 वर्ष 2018)

अप्रैल 26, 2018

[अरुण मिश्रा और उदय उमेश ललित, न्यायमूर्ति]

वाद: कब्जे की बहाली, मेसने लाभ और स्थायी निषेधाज्ञा के लिए वाद - गृह संपत्ति के संबंध में -संपत्ति का मालिक होने का दावा -वादी के भाई (प्रतिवादी संख्या 1) और बहन (प्रतिवादी संख्या 2) के विरुद्ध -प्रतिवादियों का मामला यह था कि संपत्ति एक पारिवारिक संपत्ति थी और विशेष रूप से वादी के स्वामित्व में नहीं थी; और प्रतिवादी का कब्ज़ा मालिक की हैसियत से था - ट्रायल कोर्ट ने वाद का फैसला सुनाया- प्रथम अपील और समीक्षा में उच्च न्यायालय द्वारा डिक्री की आगे पुष्टि की गई - अपील पर, आयोजित: मामले के तथ्य और परिस्थितियाँ इंगित करती हैं कि विचाराधीन संपत्ति एक पारिवारिक संपत्ति थी और वादी की विशेष संपत्ति नहीं थी - निचली अदालतों ने वादी की आईपीएसी दीक्षित को स्वीकार करते समय और वाद की डिक्री करते समय विकृत और सबसे मनमाने और अवैध तरीके से काम किया है- स्वीकृत तथ्यों से कानूनी निष्कर्ष सही ढंग से नहीं निकाले गए हैं - ऐसे तथ्यों की समवर्ती खोज जो अस्वीकार्य और विकृत हैं, न्यायालय पर बाध्यकारी प्रभाव नहीं डाल सकती हैं - वाद खारिज होने योग्य है - अपील स्वीकार की गई।

सुरेंद्र कुमार बनाम फूलचंद (मृत) थ्रू एलआरएस एंड अदर (1996) 2 एससीसी 491; यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मोक्ष बिल्डर्स एंड फाइनेंसर्स लिमिटेड और अन्य (1977) 1 एससीसी 60; श्री मार्सेल मार्टिंस बनाम एम. प्रिंटर और अन्य (2012) 5 एससीसी 342; वत्सला मणिकावासगम और अन्य बनाम एन. गणेशन और अन्य (2013) 9 एससीसी 152 - पर भरोसा किया गया।

केस कानून संदर्भ

(1996) 2 एससीसी 491 पैरा 10 पर निर्भर था

(1977) 1 एससीसी 60 पैरा 10 पर निर्भर था

(2012) 5 एससीसी 342 पैरा 10 पर निर्भर था

(2013) 9 एससीसी 152 पैरा 10 पर निर्भर था

961 सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट [2018] 3 एस.सी.आर.

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 4534 - 4535 वर्ष 2018

दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली के निर्णय और आदेश दिनांक 27.10.2017 और 08.12.2017 के विरुद्ध आरएफए संख्या 400 वर्ष 2010 और आरएफए संख्या 400 वर्ष 2010 में समीक्षा याचिका संख्या 480 वर्ष 2017 क्रमशः।

महाबीर सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता, के.आर. चावला, अजय कुमार भाटिया, विजय एस. बिश्नोई, अपीलकर्ता के वकील।

अस्वीकरण
"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

ई. सी. अग्रवाल, श्वेतान के. सेलकवाल, तन्मय अग्रवाल, विभोर वर्धन प्रतिवादी के लिए अधिवक्ता।

न्यायालय का निम्नलिखित आदेश सुनाया गया:

आदेश

1. अनुमति प्रदान की गई।

2. पक्षों के विद्वान वकील को सुना।

3. प्रतिवादी ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित निर्णय और डिक्री से व्यथित अपील में है, जैसा कि पहली अपील में उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई थी और लागू समीक्षा को भी उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था। वादी-प्रतिवादी, धर्मपाल ढल (मृत्यु के बाद से) ने मकान संख्या ईडी-48, टैगोर गार्डन, नई दिल्ली के संबंध में कब्जे की बहाली, मेसने मुनाफे और स्थायी निषेधाज्ञा के लिए मुकदमा दायर किया।

4. वादी - धर्मपाल ढल एक मामला लेकर आए थे कि उन्होंने भारत के राष्ट्रपति द्वारा उनके पक्ष में दी गई स्थायी लीज डीड के तहत 149.33 वर्ग गज के भूखंड पर लीजहोल्ड अधिकार प्राप्त किया और 31.01.1966 को पंजीकृत किया। वादी ने भूखंड पर एक निर्माण किया और साइट योजना के अनुसार सक्षम प्राधिकारी से आवश्यक मंजूरी प्राप्त की और परिसर में बिजली, पानी और सीवरेज कनेक्शन स्थापित किए। हालांकि, वादी में ही कहा गया था कि पूरा परिवार उक्त मकान में रहने लगा। वादी, साथ ही प्रतिवादी और सभी बहनों का विवाह संबंधित घर से संपन्न हुआ। जब प्रतिवादी संख्या 2- वादी की बहन का रिश्ता अपने पति के साथ तनावपूर्ण हो गया, तो वह अपनी बेटी के साथ उक्त घर में रहने लगी। प्रतिवादी संख्या 1 1971 में कुछ समय के लिए दिल्ली से बाहर रहा था। पार्टियों के पिता - कश्मीरी लाल ढल्ल की मृत्यु 10.08.1980 को हो गई, वे अपने पीछे दिल्ली में कई संपत्तियाँ छोड़ गए। प्रतिवादी नंबर 1 ने वर्ष 1986 से अलग रहना शुरू कर दिया। उसने मोती नगर, नई दिल्ली में एक घर और एक और आवासीय आवास, यानी, जीएच-1/318, पश्चिम विहार, नई दिल्ली का अधिग्रहण किया।

5. वादपत्र में यह भी कहा गया कि दोनों पक्षों की मां की वर्ष 1990 में परिसर में मृत्यु हो गई। घर प्रतिवादी संख्या 2 की अभिरक्षा/कब्जे में रहा। प्रासंगिक समय पर, वादी बंबई में तैनात था। घर सुसज्जित था. वादी का फर्नीचर अभी भी घर में पड़ा हुआ था। वादी वर्ष 1993 में वापस दिल्ली आ गया। हालाँकि, उसी समय, प्रतिवादी संख्या 2 को घर पर कब्जा करने की अनुमति दी गई। बाद में पता चला कि प्रतिवादी क्रमांक 1 भी उक्त मकान में रहने लगा है। वादी ने प्रतिवादियों से परिसर खाली करने को कहा। उन्होंने ऐसा नहीं किया। हालाँकि, प्रतिवादी संख्या 2 ने जनवरी 1995 में निवास स्थान बदल लिया था। इसलिए, दिनांक 30.6.1995 को नोटिस देने के बाद मुकदमा दायर किया गया था। प्रतिवादी क्रमांक 1 को वर्ष 1986 में मां ने घर से निकाल दिया था, इस प्रकार उसका घर पर कोई अधिकार नहीं था। प्रतिवादी संख्या एक का आचरण वादी के साथ उचित नहीं था।

6. प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा दायर लिखित बयान में, यह तर्क दिया गया कि मुकदमे का उचित मूल्यांकन नहीं किया गया था। प्रतिवादी वर्ष 1966 से परिसर पर कब्जा कर रहा था।

अस्वीकरण
"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

मुकदमा परिसीमा द्वारा वर्जित था और चलने योग्य नहीं था। भूखंड का आवंटन प्रारंभ में कुमारी स्नेह लता के नाम पर प्राप्त किया गया था, जो स्वर्गीय कश्मीरी लाल ढल की सबसे बड़ी संतान थीं। पार्टियों के पिता ने इसे साल 1963 में दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) से हासिल किया था। पूरी राशि का भुगतान दिवंगत कश्मीरी लाल ने डीडीए को किया था। इसके बाद, 1965-66 में कश्मीरी लाल ने अपने पैसे से निर्माण कार्य शुरू किया। उस समय वादी केवल आईआईटी, खड़गपुर, पश्चिम बंगाल में पढ़ने वाला छात्र था। प्रतिवादी का कब्जा स्वामी की हैसियत से था। संबंधित समय पर वादी के पास आय का कोई स्रोत नहीं था। वादी के पक्ष में किसी भी व्यक्ति द्वारा कोई उपहार विलेख नहीं बनाया गया था। वे चार बहनें और दो भाई हैं, जो स्वर्गीय श्री कश्मीरी लाल के कानूनी प्रतिनिधि के रूप में बचे हैं। आवश्यक पक्षों के शामिल न होने के कारण यह मुकदमा ख़राब था। इस प्रकार, वादी किसी भी राहत का हकदार नहीं था।

7. ट्रायल कोर्ट ने मुकदमे का फैसला सुनाया था। उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय और डिक्री की पुष्टि की गई थी। इससे व्यथित होकर अपीलकर्ता अपील में आया है।

8. हमने पक्षों के विद्वान वकील को विस्तार से सुना है। अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री महाबीर सिंह द्वारा यह प्रस्तुत किया गया कि संपत्ति कुमारी स्नेह लता के नाम पर अर्जित की गई थी। बाद में, जब वर्ष 1966 में उनकी शादी हुई, तो संपत्ति धर्मपाल के नाम पर स्थानांतरित कर दी गई। वर्ष 1963 में जब संपत्ति कुमारी स्नेह लता के नाम पर अर्जित की गई, उस समय वादी धर्मपाल आईआईटी, खड़गपुर में छात्र थे। उनके पास कमाई का कोई जरिया नहीं था. इस प्रकार, जाहिर है, पैसा पिता से आया और वर्ष 1965-66 में घर का निर्माण किया गया। इस प्रकार, वादी के पास आय का कोई स्रोत नहीं था जिसे प्रासंगिक समय पर घर में निवेश किया जा सके। वादी द्वारा दिए गए बयान के अनुसार, वह अप्रैल 1966 में सेवाओं में शामिल हुए। उस समय तक, घर का निर्माण पहले ही हो चुका था। इस प्रकार, यह परिवार के स्वामित्व वाली संपत्ति थी। पिता ने घर के निर्माण और भूखंड के आवंटन के लिए पैसा खर्च किया था और इस प्रकार यह एक पारिवारिक संपत्ति थी। इसका उपयोग पूरे परिवार के निवास, बच्चों के विवाह और आनंद के तथ्य के रूप में किया जाता था, यह स्पष्ट रूप से इंगित करता था कि यह विशेष रूप से वादी के स्वामित्व वाली संपत्ति नहीं थी। वादी में दर्ज मामले के अनुसार और वादी द्वारा अपने बयान में की गई महत्वपूर्ण स्वीकारोक्ति के अनुसार भी यह पारिवारिक संपत्ति थी।

9. उत्तरदाताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री ई.सी. अग्रवाल ने प्रस्तुत किया है कि संपत्ति, वास्तव में, कुमारी स्नेह लता द्वारा उनकी कमाई से अर्जित की गई थी, वह शिक्षिका थीं। यह भी प्रस्तुत किया गया कि नाम में परिवर्तन के लिए एक पत्र उसके स्कूल के पते पर जारी किया गया था जहां वह सेवारत थी। इस प्रकार, कुमारी स्नेह लता ने अपनी कमाई से डीडीए से प्लॉट हासिल किया था। इस प्रकार, यह कहा जा सकता है कि यह पिता कश्मीरी लाल ढल द्वारा आवंटित पारिवारिक संपत्ति है। इस प्रकार, इसे वादी को देने का अधिकार कुमारी स्नेह लता के पास था। इस प्रकार, यह पारिवारिक संपत्ति नहीं बनेगी। हालाँकि उस पर परिवार का कब्ज़ा था, समय-समय पर वादी वहाँ आकर रहता था। उन्होंने प्रतिवादी संख्या 2 को केवल इस कारण से रहने की अनुमति दी थी क्योंकि उसके पति के साथ उसके संबंध तनावपूर्ण थे और प्रतिवादी

अस्वीकरण
"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

संख्या 1 को 1986 में उसकी मां ने बेदखल कर दिया था। उन्होंने दिल्ली के अलग-अलग इलाकों यानी मोती नगर नई दिल्ली और पश्चिम विहार नई दिल्ली में दो अन्य संपत्तियां हासिल की थीं। उन्होंने वर्ष 1995-1996 में वादी की पीठ पीछे प्रश्नगत संपत्ति पर पुनः कब्ज़ा कर लिया था। इस प्रकार, वादी संपत्ति पर कब्ज़ा और आंतरिक लाभ की बहाली का हकदार था। दोनों न्यायालयों ने एक साथ यह तथ्य पाया कि वादी ही मालिक था। यह पूरी तरह से तथ्य की खोज थी और इस न्यायालय द्वारा अपीलों में हस्तक्षेप का कोई मामला नहीं बनाया गया था।

10. अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने सुरेंद्र कुमार बनाम फूलचंद (मृत) थ्रू एलआरएस एंड अदर (1996) 2 एससीसी 491 के फैसले पर भरोसा किया था, जिसमें इस न्यायालय ने कहा था कि कोई भी धारणा नहीं है कि एक परिवार, क्योंकि यह है संयुक्त, के पास संयुक्त संपत्ति थी और इसलिए संपत्ति के संयुक्त होने का दावा करने वाले व्यक्ति को यह स्थापित करना था कि परिवार के पास कुछ संपत्ति थी जिसकी आय से संपत्ति अर्जित की जा सकती थी। लेकिन जहां यह स्थापित या स्वीकार किया जाता है कि जिस परिवार के पास संयुक्त संपत्ति थी, जो अपनी प्रकृति और सापेक्ष मूल्य से पर्याप्त केंद्र बन सकती थी, जिससे प्रश्न में संपत्ति अर्जित की जा सकती थी, यह धारणा उत्पन्न होती है कि यह संयुक्त संपत्ति थी और बोझ बदल जाता है स्व-अधिग्रहण का आरोप लगाने वाली पार्टी को सकारात्मक रूप से यह स्थापित करने के लिए कि संपत्ति संयुक्त परिवार की सहायता के बिना अर्जित की गई थी। जब संपत्ति संयुक्त परिवार के प्रबंधक द्वारा अपीलकर्ता के नाम पर खरीदी गई थी, जो तब नाबालिग था, यह साबित करने के लिए सामग्री के अभाव में कि प्रतिफल राशि का भुगतान अलग-अलग निधियों से किया गया था। यह राय दी गई कि निचली अदालतों द्वारा संपत्ति को संयुक्त संपत्ति माना गया था।

11. यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मोक्ष बिल्डर्स एंड फाइनेंसर्स लिमिटेड और अन्य (1977) 1 एससीसी 60 में, इस न्यायालय ने देखा है कि जहां यह दावा किया गया है कि एक व्यक्ति के नाम पर एक असाइनमेंट वास्तव में दूसरे के लाभ के लिए है, वास्तविक परीक्षण वह स्रोत है जहां से यह पता लगाने पर विचार किया गया कि लेनदेन के लाभों का आनंद कौन उठा रहा है। अपीलकर्ता के मामले को सिद्ध या स्वीकृत तथ्यों से उत्पन्न उचित संभावनाओं और कानूनी निष्कर्षों पर निपटाया जाना चाहिए। सबूत का बोझ स्थिर नहीं है और साक्ष्य के दौरान बदल सकता है। इस प्रकार, जबकि शुरुआत में बोझ उस पक्ष पर होता है जो साक्ष्य दर्ज होने के बाद कोई सबूत पेश नहीं करने पर विफल हो जाएगा, यह उस पक्ष पर निर्भर करता है जिसके खिलाफ निर्णय दिया जाएगा यदि रिकॉर्ड पर साक्ष्य पर किसी भी पक्ष द्वारा कोई और सबूत नहीं जोड़ा गया है। एक बार साक्ष्य प्रस्तुत हो जाने के बाद मामले का निर्णय हमेशा पक्षों द्वारा दिए गए साक्ष्यों के आधार पर किया जाना चाहिए। इस न्यायालय ने इस प्रकार निर्धारित किया है:

"15. यह किसी का मामला नहीं है कि प्रतिवादी 2 को घर की बिक्री फर्जी थी और हस्तांतरणकर्ता का शीर्षक पारित करने का इरादा नहीं था। हमें यह जांचना है कि क्या दिसंबर 1946 में घर की बिक्री पर स्वामित्व प्रतिवादी 3 को हस्तांतरित किया गया था, जो वास्तविक खरीदार था, न कि प्रतिवादी 2 को, जो केवल दिखावटी अंतरिती था और एक "बेनामीदार" से अधिक कुछ नहीं था। गंगादरा अय्यर और अन्य बनाम सुब्रमण्यम सस्त्रिगल और अन्य एआईआर

अस्वीकरण
"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

1949 एफसी 88 में यह कहा गया है कि "ऐसे मामले में जहां यह दावा किया जाता है कि एक व्यक्ति के नाम पर एक असाइनमेंट वास्तव में दूसरे के लाभ के लिए है, असली परीक्षा यह है वह स्रोत जहां से विचार आया।'' ऐसे मामलों में यह जांचना भी आवश्यक है कि वास्तव में स्थानांतरण का लाभ किसने उठाया है। ये दोनों परीक्षण इस न्यायालय द्वारा मीनाक्षी मिल्स, मदुरै बनाम आयकर आयुक्त मद्रास में लागू किए गए थे। [1955] एस.सी.आर. 691 इसलिए, वर्तमान मामले में, हस्तांतरण के लिए प्रतिफल के स्रोत का पता लगाना और यह भी पता लगाना आवश्यक है कि लेनदेन के लाभों का आनंद कौन उठा रहा है। यह भी समान रूप से अच्छी तरह से तय है कि, हालांकि यह स्थापित करने का दायित्व कि कोई लेनदेन "बेनामी" है, वादी पर है। "जहां सबूत प्राप्त करना संभव नहीं है जो आरोप को निर्णायक रूप से स्थापित या खंडन करता है, मामले को उचित संभावनाओं और साबित या स्वीकृत तथ्यों से उत्पन्न कानूनी निष्कर्षों पर निपटाया जाना चाहिए।"

16. हालाँकि, सबूत का बोझ स्थिर नहीं है, और साक्ष्य के दौरान बदल सकता है। इस प्रकार, जबकि शुरुआत में बोझ उस पक्ष पर होता है जो साक्ष्य दर्ज होने के बाद कोई सबूत पेश नहीं करने पर विफल हो जाएगा, यह उस पक्ष पर निर्भर करता है जिसके खिलाफ निर्णय दिया जाएगा यदि किसी भी पक्ष द्वारा कोई और सबूत पेश नहीं किया जाता है यानी रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्य पर जैसा कि कलवा देवदत्तम और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य में इस न्यायालय द्वारा आयोजित किया गया है [1964] 3 एससीआर 191 कि जहां संबंधित पक्षों द्वारा संबंधित प्रश्न पर सबूत पेश किए गए हैं, दायित्व के अमूर्त विचार और जगह से बाहर हैं, और अन्यथा की सच्चाई; मामले का निर्णय हमेशा पक्षों के साक्ष्यों के आधार पर किया जाना चाहिए। ऐसा तभी होगा जब अदालत को लगे कि किसी निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचने में कोई कठिनाई नहीं है। इसलिए इस मामले में सबूतों को तौलना और यह तय करना आवश्यक है कि भले ही यह मान लिया जाए कि "बेनामी" आरोप को स्थापित करने या खंडन करने के लिए कोई निर्णायक सबूत नहीं था, सबूतों के सावधानीपूर्वक मूल्यांकन पर क्या उचित संभावना होगी और प्रासंगिक और स्वीकार्य साक्ष्य से कानूनी निष्कर्ष।”

12. श्री मार्सेल मार्टिंस बनाम एम. प्रिंटर और अन्य (2012) 5 एससीसी में यह माना गया था कि बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 ("अधिनियम" के लिए) केवल उस स्थिति में लागू होगा जब संपत्ति बेनामी रखी गई हो। यदि धारा 4(3) लागू है तो यह नहीं कहा जा सकता कि संपत्ति बेनामी थी, इसलिए अधिनियम का प्रावधान लागू नहीं होगा।

13. अधिनियम की धारा 2(ए) में ''बेनामी लेनदेन'' को इस प्रकार परिभाषित किया गया है:

“2. परिभाषाएँ- इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, - (ए) बेनामी लेनदेन का अर्थ है कोई भी लेनदेन जिसमें संपत्ति किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भुगतान या प्रदान किए गए प्रतिफल के लिए एक व्यक्ति को हस्तांतरित की जाती है; (बी) ....." अधिनियम की धारा 4 को निम्नानुसार पुन: प्रस्तुत किया गया है: "4, बेनामी रखी गई संपत्ति को पुनर्प्राप्त करने के अधिकार का निषेध- (1) जिस व्यक्ति के नाम पर संपत्ति है, उसके खिलाफ बेनामी रखी गई किसी

अस्वीकरण
"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

भी संपत्ति के संबंध में किसी भी अधिकार को लागू करने के लिए कोई मुकदमा या कार्रवाई नहीं की जाएगी या किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध ऐसी संपत्ति का वास्तविक स्वामी होने का दावा करने वाले व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से झूठ बोला जाएगा। (2) बेनामी रखी गई किसी भी संपत्ति के संबंध में किसी भी अधिकार के आधार पर कोई बचाव नहीं, चाहे वह उस व्यक्ति के खिलाफ हो जिसके नाम पर संपत्ति है या किसी अन्य व्यक्ति के खिलाफ ऐसी संपत्ति के वास्तविक मालिक होने का दावा करने वाले व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से किसी भी मुकदमे में दावा या कार्रवाई की अनुमति दी जाएगी। (3) इस धारा में कुछ भी लागू नहीं होगा, - (ए) जहां जिस व्यक्ति के नाम पर संपत्ति है, वह हिंदू अविभाजित परिवार में सहदायिक है और संपत्ति परिवार में सहदायिकों के लाभ के लिए रखी गई है; या (बी) जहां जिस व्यक्ति के नाम पर संपत्ति है वह ट्रस्टी है या प्रत्ययी क्षमता वाला कोई अन्य व्यक्ति है, और संपत्ति किसी अन्य व्यक्ति के लाभ के लिए रखी गई है जिसके लिए वह ट्रस्टी है या जिसके प्रति वह ऐसी क्षमता में खड़ा है। (जोर दिया गया) अधिनियम की धारा 4(3) में निहित पूर्वोक्त प्रावधान को पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है कि जहां एक व्यक्ति जिसके नाम पर संपत्ति हिंदू अविभाजित परिवार में सहदायिक के रूप में रखी गई है और संपत्ति सहदायिक के लाभ के लिए रखी गई है संपत्ति, बेनामी रखी गई संपत्ति को पुनर्प्राप्त करने के अधिकार पर रोक लगाने वाले धारा 4 के प्रावधान लागू नहीं होंगे। अधिनियम की शर्तें धारा 4(3) (ए) और (बी) में निहित लेनदेन पर लागू नहीं होती हैं। यदि संपत्ति प्रत्ययी क्षमता में रखी गई है या किसी अन्य व्यक्ति के लाभ के लिए ट्रस्टी के रूप में रखी गई है, जिसके लिए वह ट्रस्टी है या जिसके प्रति वह ऐसी क्षमता में खड़ा है। इस प्रकार, अधिनियम के प्रावधान को तत्काल मामले में लागू नहीं कहा जा सकता है।

14. वत्सला मणिकावासगम और अन्य बनाम एन. गणेशन और अन्य (2013) 9 एससीसी 152 में, इस न्यायालय ने इस सवाल पर विचार किया कि क्या संपत्ति बेनामी थी या संयुक्त परिवार की संपत्ति थी। जहां यह मौन स्वीकृति थी कि वाद संपत्ति उसके पिता द्वारा उसके नाम पर खरीदी गई थी जिसके लिए वह जिम्मेदार नहीं था, इसे संयुक्त परिवार की संपत्ति माना गया था।

15. पक्षों के विद्वान वकील को सुनने के बाद, उपरोक्त कानूनी स्थिति पर विचार करते हुए, हमारी सुविचारित राय है कि अपीलें स्वीकार किए जाने योग्य हैं। सबसे पहले, वादी ने यह मामला नहीं उठाया है कि संपत्ति वर्ष 1963 में कुमारी स्नेह लता के नाम पर अर्जित की गई थी और उन्होंने ही डीडीए से जमीन आवंटित कराने और घर के निर्माण में पैसा खर्च किया था। वाद-विवाद में ऐसा कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है जिससे यह पता चले कि कुमारी स्नेह लता ने घर के निर्माण में पैसा खर्च किया था। उन्होंने कुमारी स्नेह लता के नाम पर आवंटन की बात छिपायी है। इसके विपरीत, वादपत्र में ही यह स्वीकार किया गया था कि परिवार शुरू से ही परिसर में रहने लगा था। पैराग्राफ 4 और 5 में, वादी द्वारा की गई दलील निम्नलिखित है:

"4. मकान के पूरा होने पर प्रतिवादी सहित परिवार के सभी सदस्य उपरोक्त घर में रहने लगे, वादी के साथ-साथ प्रतिवादी और सभी बहनों का विवाह विवादग्रस्त घर से संपन्न हो गया।

अस्वीकरण
"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

5. प्रतिवादी संख्या 2 और उसके पति के बीच संबंध तनावपूर्ण हो गए जिसके परिणामस्वरूप वादी द्वारा विवादित परिसर में उसे आश्रय दिया गया।

16. यह स्पष्ट है कि पूरा परिवार शुरू से ही विचाराधीन घर में रह रहा था और वादी के साथ-साथ प्रतिवादी और अन्य सभी बहनों का विवाह प्रश्नगत घर में संपन्न हुआ था। वर्ष 1990 में वादी द्वारा दर्ज कराए गए मामले के अनुसार, यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी संख्या 2 भी शुरू से ही लगातार घर में रह रही थी और उसकी माँ की भी संबंधित घर में मृत्यु हो गई थी। इसके बाद मकान पर परिवार के सदस्यों का कब्जा बना रहा, यह भी स्पष्ट है। इसके विपरीत, वादी द्वारा यह स्वीकारोक्ति की गई है कि वह उस घर में कभी नहीं रहा। वादी के बयान का प्रासंगिक भाग यहां दिया गया है:

"यह सही है कि निर्माण के बाद से मैं कभी भी इस घर में विवाद में नहीं रहा। यह कहना गलत है कि घर पूरा होने के बाद, मेरे माता-पिता और प्रतिवादी नंबर 2 और भाई प्रतिवादी नंबर 1 सहित सभी चार बहनों ने विवाद वाले घर में मेरे साथ रहना शुरू नहीं किया।

उपरोक्त कथन से, यह स्पष्ट है कि वादी कभी भी घर में नहीं रहा और किसी भी समय घर पर उसका कब्जा या आनंद नहीं था।

17. इसके अलावा, जब हम प्लॉट खरीदने के उद्देश्य से धन के स्रोत की बात करते हैं, तो माना जाता है कि वादी एक छात्र था और उसे वर्ष 1961 में आईआईटी, खड़गपुर में दाखिला मिला था। जिस समय भूमि कुमारी स्नेह लता के नाम पर आवंटित की गई थी, उस समय वह एक छात्रा थीं और 1963 या जनवरी 1966 में प्रासंगिक समय पर उनके पास आय का कोई स्रोत नहीं था। जब कुमारी स्नेह लता की शादी के कारण आवंटन उनके नाम पर बदल दिया गया था। इस प्रकार, जाहिर है, यह कश्मीरी लाल ही थे जिन्होंने भूमि आवंटित करने में पैसा खर्च किया था और वर्ष 1965-66 में निर्माण भी कराया था। हालाँकि वादी ने कहा है कि निर्माण वर्ष 1966 में किसी समय किया गया था, लेकिन उसकी बात को विश्वसनीय नहीं कहा जा सकता। जब निर्माण का मामला उठाया गया तो वादी वाद में चुप था। प्रतिवादी एक विशिष्ट मामला लेकर आया है कि निर्माण वर्ष 1965-66 में किया गया था और यह विश्वसनीय है। इसके अलावा, भले ही निर्माण 1966 में किया गया था, वादी ने स्वीकार किया था कि उसे अप्रैल 1966 में ही रोजगार प्राप्त हुआ था और जब घर 1966 में बनाया गया था। वादी के पास 1963 में घर में निवेश करने या प्लॉट खरीदने के लिए पर्याप्त कमाई नहीं थी। वह यह बताने की स्थिति में भी नहीं था कि उसका वेतन 400 रुपये है या नहीं। यह स्पष्ट रूप से कुमारी स्नेह लता की शादी के कारण था कि प्लॉट धर्मपाल के नाम पर स्थानांतरित कर दिया गया था, जो कश्मीरी लाल का बड़ा बेटा है। इस प्रकार, स्पष्ट रूप से धर्मपाल द्वारा डीडीए को भूमि आवंटन के लिए कोई पैसा नहीं दिया गया था और जाहिर तौर पर, इसका भुगतान 1963 में कश्मीरी लाल द्वारा किया गया था। पिता कश्मीरी लाल ने भी निर्माण में पैसा खर्च किया था। मकान का आधिपत्य एवं उपभोग प्रारंभ से ही पूरे परिवार के पास था और आज तक यह परिवार मकान में निवास कर रहा है। इसके अलावा, वादी ने स्वीकार किया है कि जब वह अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में पोस्टिंग पर दिल्ली आया, तो उसने किराए के मकान में रहना शुरू कर दिया, क्योंकि संबंधित घर में उसके रहने के लिए आवास की कमी थी।

अस्वीकरण
"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

इस प्रकार, सभी तथ्य और परिस्थितियाँ इंगित करती हैं कि यह एक पारिवारिक संपत्ति थी, न कि वादी-धर्मपाल की विशेष संपत्ति। इस प्रकार, निचली अदालतों ने वादी की आईपीएसी डिक्री को स्वीकार करते समय और मुकदमे का फैसला सुनाते समय न केवल विकृत तरीके से बल्कि सबसे मनमाने और अवैध तरीके से काम किया है। तथ्यों की ऐसी खोज जो अस्वीकार्य और विकृत हो, उसे बाध्यकारी नहीं कहा जा सकता। स्वीकृत तथ्यों से कानूनी निष्कर्ष सही ढंग से नहीं निकाले गए हैं।

18. केवल यह तथ्य कि हाउस टैक्स रसीद, बिजली और पानी के बिल और अन्य दस्तावेज धर्मपाल के नाम पर हैं, मामले को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा क्योंकि यह पिता ही थे जिन्होंने कुमारी स्नेह लता के नाम को धर्मपाल के नाम पर बदल दिया था। रसीदें केवल दर्ज मालिक के नाम पर जारी की जानी थीं, लेकिन धर्मपाल कभी भी घर में नहीं रहे क्योंकि वह दिल्ली से बाहर सेवा में थे, जाहिर है, राशि का भुगतान स्वर्गीय धर्मपाल द्वारा नहीं, बल्कि परिवार द्वारा किया गया था। इस प्रकार, हम पाते हैं कि उपरोक्त दस्तावेजों से कोई लाभ प्राप्त नहीं हो सका।

19. उपरोक्त के मद्देनजर, हमें अपील की अनुमति देने और वादी-प्रतिवादियों द्वारा दायर मुकदमे को खारिज करने में कोई हिचकिचाहट नहीं है। इस प्रकार, हम तदनुसार ऑर्डर करते हैं। शुल्क करने का कोई आदेश नहीं। लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का निपटारा कर दिया जाएगा।

कल्पना के.त्रिपाठी अपील स्वीकृत।

Sandeep Kumar Jaiswal, Advocate
Enrollment No.UP-5956/2018
AOR No.A/S-0328/2019

Sandeep

अस्वीकरण
"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"